राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– प्रशि/मस्वाका/प–28/पार्ट–।।/09/617 दिनांकः– 30/11/09

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर/भीलवाडा/टोंक/नागौर
भरतपुर/करौली/स0मा0/धौलपुर
बीकानेर/गंगानगर/चूरू(मु0 रतनगढ)/हनुमानगढ।
जयपुर–प्रथम/सीकर/अलवर/झुंझुनू/दौसा।
जोधपुर/जालौर/पाली/सिरोही/बाडमेर/जैसलमेर।
कोटा/झालावाड/बारां/बून्दी।
उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तोडगढ/राजसमंद।

विषयः–महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु दिनांक **30.12.2009** को काउन्सलिंग की जाकर प्रवेश देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2009 हेतु चयन के लिये **30.12.2009** को काउन्सलिंग की जानी है जिसके लिये निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जावे :–

1. चयन विज्ञप्ति कमांक प्रशि/मस्वाका/2009–10/269 दिनांक 3.7.2009 मे उल्लेखित योग्यता एवं शर्तो के अनुरूप ही किया जावे।राज्य सरकार के आदेश कमांक प.5(49) चिकि एवं स्वा /ग्रुप–3/09 दिनांक 15.10.2009 (प्रति संलग्न) है के अनुसार एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर पर सीटो की नवीनतम संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जाना है।
2. चयन पूर्णतया प्राप्तांकों के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
3. आरक्षित अभ्यार्थियों को चयन मे विज्ञप्ति मे दर्शायी गई सीटों के अनुरूप ही अ0जा0/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों को आयु मे नियमानुसार 5 वर्ष की छुट दी जावे।
4. समान प्रतिशत के अभ्यार्थियों की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
5. शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप मान्य शेक्षणिक संस्थान से सैकण्डरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी व गणित विषय सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिये उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे।
6. प्रोविजनल सूची मेरिट के अनुसार जितने अभ्यार्थी चयन हेतु लिये जाने है, उससे तीन गुणा अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लेटर पर यह अवश्य अंकित कर दे कि यह प्रवेश का पत्र नहीं है, निर्धारित सीटों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा। कॉल लेटर अभ्यर्थियों को रजि0 डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक **30.12.2009** को प्रातः 10 बजे काउन्सलिंग हेतु बुलाया जावे।
7. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु चयन राज्य सरकार /कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशानुसार टीएसपी एरिया एवं सहरिया क्षेत्र से संबंधित जिलों में निम्नानुसार आरक्षण रहेगाः–

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सीट	टीएसपी (एसटी)	टीएसपी (एससी)	टीएसपी क्षेत्र के सामान्य/ओबीसी एवं अन्य क्षेत्र के सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग/एसटी/एससी संवर्ग के आरक्षण के श्रेणीवार निर्धारित सीटे	टिप्पणी
1	उदयपुर	120	30	04	86	
2	डूंगरपुर	90	41	05	45	
3	बांसवाडा	90	41	05	45	
4	चित्तौडगढ	90	8	2	80	
5	सिरोही	90	6	2	82	
6	बारां	90	*22	–	68	*केवल किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के सहरिया अभ्यार्थियों के लिये

8. काउन्सलिंग करने हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अध्यक्ष
2. जिला प्रजनन अधिकारी, सदस्य
3. प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र, सदस्य

इनमे से कोई उपलब्ध नहीं होने पर उप मु. चिकि. एवं स्वा. अधिकारी को शामिल किया जावे।

9. काउसलिंग के दौरान चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन चयन आदेश दिये जावे एवं उसी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त तीन गुणा अभ्यर्थियों की सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट के अगले दिन गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्र वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावें, अन्यथा इसको गंभीर माना जावेगा।

10. काउन्सलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों को जिनका चयन नहीं हुआ है, वे प्रतीक्ष सूची में रहेगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रहीं सीटो पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही देवे। अन्य दिशा निर्देश पूर्वतः ही रहेगे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्रवाहक के साथ अगले कार्य दिवस को आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे :–

संवर्ग	सामान्य	ओबीसी	अनु0 जन जाति	अनु0 जाति	टीएसपी (एसटी)	टीएसपी (एससी)	(क्षैतिज आधार) होरिजेन्टल बेसीस पर				
							आं0बा0 कार्यकर्ता	मिलेट्री / पैरामिलेट्री / पुलिस मृतक कर्मियो की विधवॉं /	अन्य श्रेणी की विधवॉं एवं तलाकशु दा अभ्यर्थी	विकलांग श्रेणी ओएल (एक टांग)	विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला
चयन का न्यनतम प्राप्तांक प्रतिशत											
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या											
रिक्त सीटों की संख्या											
अन्य विवरण											

11. प्रशिक्षण मे प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्वाईनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजो का संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें और इनका सत्यपन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जावें।यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र/अंक तालिका/अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जावे और प्रशिक्षण से पृथकं करके निदेशालय को सूचित किया जावे।
12. काउन्सलिग में अभ्यर्थी को अपने मूल प्रमाण पत्राादि शैक्षणिक, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो तत्सबंधि मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे।
13. काउन्सलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणी वार निर्धारित सीटो के तीन गुणा अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया जाना है,जिसके लिये उन्हें पत्र दिनांक 10.12.2009 तक आवश्यक रूप से जारी किये जावें तथा सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला कलक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे। इसी के साथ बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण की श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रकाशन कराया जावे।

(बी0के0दोसी)
अति0 निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

900
224X10

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

2533 क्रमांकः प. 5 (49)/चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/09 जयपुर, दिनांक 15 OCT 2009

:–आदेश:–

Addl(Adm) वर्तमान मे राज्य में संचालित समस्त 32 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों मे कुल 1920 सीटों पर प्रशिक्षण हेतु क्षमता उपलब्ध है। भविष्य मे ए.एन.एम. के पदों की अत्यधिक मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान मे संचालित सभी प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों मे बढोतरी की जावे।

अतः संभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर संचालित निम्नाकिंत प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके नाम के सामने अंकित सीटों में ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु सीटों में बढोतरी की स्वीकृती वर्ष 2009–10 से तुरन्त प्रभाव से एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था से ट्यूटर्स एवं अन्य इन्फास्ट्रक्चर्स पर होने वाला समस्त व्यय एन.आर.एच.एम के द्वारा वहन किया जावेगा:–

224X10

क्र. सं.	ए.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान का नाम	वर्तमान सीटों की संख्या	वृद्धिपरांत सीटों की संख्या
1	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, उम्मेद हॉस्पिटल, जोधपुर	60	120
2	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, ए.के. हॉस्पिटल, ब्यावर (अजमेर)	60	120
3	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, श्री गंगानगर	60	90
4	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. बालोतरा, बाडमेर	60	90
5	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, नागौर	60	90
6	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, सिरोही	60	90
7	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, सादत हॉस्पिटल धौलपुर	60	90
8	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनरल हॉस्पिटल, करौली	60	90
9	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, एस. के. हॉस्पिटल, सीकर	60	90
10	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, सवाईमाधोपुर	60	90
11	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, अलवर	60	90
12	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, टोंक	60	90
13	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, बांरा	60	90
14	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, झालावाड	60	90
15	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. तालेडा, बूंदी	60	90
16	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. कुम्हेर, भरतपुर	60	120
17	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, दौसा	60	90
18	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, झुंझुनू	60	90
19	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, चूरू	60	90
20	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, बीकानेर	60	120
21	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, हनुमानगढ	60	90
22	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. आहोर, जालौर	60	90

80 ई 2

ई-19456

23	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, एम.जी. हॉस्पिटल, बांसवाडा	60	90
24	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, राजसमन्द	60	90
25	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, सलूम्बर, उदयपुर	60	120
26	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जनाना हॉस्पिटल, कोटा	60	120
27	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, एम.जी. हॉस्पिटल, भीलवाडा	60	90
28	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पी.एच.सी. अमरसर, जयपुर	60	120
29	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, चित्तोडगढ	60	90
30	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, जैसलमेर	60	90
31	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, डूंगरपुर	60	90
32	ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, पाली	60	90

आज्ञा से

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल, जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर, राजस्थान ।
8. रक्षित पत्रावली।

15/1

उप शासन सचिव